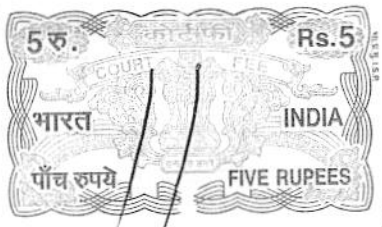

प्र.पु.क्र. अ-१२/२०१७-१८
पेशी - / / २०१८

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल , ग्वालियर
केम्प इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र. इन्हो के समक्ष;

पुनरीक्षण अर्ज - अंतर्गत धारा ५० (१)(ग) म.प्र.भू.रा. संहिता को प्रस्तुत।

१. कैलाश पिता स्व. रामचंन्द्र पाटीदार, जाति-कुलमी, उम्र- ४८ वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी - ग्राम - पाडल्याखुर्द, तहसील -महेश्वर, जिला-खरगोन म.प्र.

..........पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

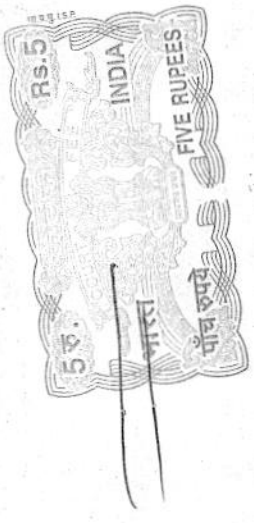

१. संजय पिता स्व. गजांनद पाटीदार, जाति-कुलमी, उम्र- ४० वर्ष, धंधा-कृषि, निवासी - ग्राम - पाडल्याखुर्द, तहसील -महेश्वर, जिला-खरगोन म.प्र.

..................प्रत्यर्थी

वाद - सीमांकन आदेश बाबद।

इसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानूसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है ।

सदर पुनरीक्षण अर्ज श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय,टप्पा करही,तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के राजस्व प्रकरण कमांक २९/अ-१२/ २०१७-१८ मे पारित आदेश दिनांक ०८.०६.२०१७ से असतुंष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है । साथ मे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है । उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजो की छायाप्रतिया भी अवलोकन हेतु पेश है ।

पुनरीक्षण के आधार

१. सदर पुनरीक्षण अर्ज आदेश दिनांक ०८.०६.२०१७ की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनाकं ०६.०८.२०१८ को मिलने के दिन मुंजरा कर नियत अवधि मे प्रस्तुत की है ।परंतु न्यायालय अवधि मे न माने तो पृथक से धारा ५ अवधि विधान अधिनियम आवेदन पत्र ,शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है , जो इस अर्ज के साथ पेश है ।

२.सदर पुनरीक्षण अर्ज इस न्यायालय मे सीमांकित आदेश पर प्रथम बार प्रंस्तुत की है । अन्य किसी न्यायालय, राजस्व मंण्डल ,दीवानी न्यायालय , उच्च न्यायालय मे कोई अपील,रिव्हीजन,या किरकोल कार्यवाहियॉ विचाराधीन नही है ।

३ प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक २३.०५.२०१६ को प्रस्तुत सीमांकन अर्ज धारा १२९ रेवेन्यु कोड के प्रावधान व सीमांकन नियमो के विपरीत होते, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने मे वैधानिक त्रुटि की है ।

४. प्रत्यर्थी संजय ने ग्राम पाडल्याखुर्द प.ह.न.५६, तहसील महेश्वर की खसरा न. ११५/१ रकबा ०.०३२ हेक्टर पर सीमाकंन करवाया है । जबकि सीमांकन के समय मुल नक्शा मे बटांकन नही है, तथा जब नक्शे मे बटांकन न होकर सीमांकन किये जाने वाले खसरा नं ११५/१ की सीमाये ही कायम नही है तो सीमांकन कैसे संभव है । तथा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5824/2018/खरगोन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2019	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा करही तहसील महेश्वर के आदेश दिनांक 8-6-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11-9-18 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची के संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही आवेदक की उपस्थिति में किया जाकर, पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों एवं आवेदक के हस्ताक्षर अंकित हैं । अत: आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी प्रारंभ से रही है । उपरोक्त स्थिति में विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति -अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	